राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 18 / 2017

दायर दिनांक:–02.11.2017

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. बिरदा पुत्र काना, जाति बलाई, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
2. सुखा पुत्र काना, जाति बलाई, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
3. गोपाल पुत्र काना, जाति बलाई, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर अजमेर ।

––––प्रार्थीगण

बनाम

1. केसर पुत्र सुवा, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
2. महेन्द्र पुत्र सुवा, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
3. कैलाश पुत्र सुवा, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
4. छोटी पुत्री सुवा, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
5. सूरज्ञान पुत्री सुवा, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
6. मुनकी पत्नि सुवा, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
7. हंसराज पुत्र सोहन, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
8. दिलीप पुत्र सोहन, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
9. कविता पुत्री सोहन, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
10. चंचल पुत्री सोहन, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
11. सुरज्ञान पत्नि सोहन, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
12. हीरकी देवी पत्नि दाना, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
13. श्योनारायण पुत्र दाना, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
14. पूसा पुत्र मांगू, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
15. रामदीन पुत्र मांगू, जाति रेगर, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
16. आशा पत्नि जगदीश, जाति ढोली, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
17. गुंजन पुत्री जगदीश, जाति ढोली, निवासी–पालड़ी भोपतोतान तहसील रूपनगढ जिला अजमेर ।
18. जशोदा पत्नि भैरू, जाति ढोली, निवासी–पालड़ी भोप[illegible]सील रूपनगढ जिला अजमेर ।
19. बाबूलाल पुत्र भैरू, जाति ढोली, निवा[illegible] रूपनगढ जिला अजमेर ।
20. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ जिला अ[illegible]र राजस्थान।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.23 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

1. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा सलेमाबाद तहसील रूपनगढ।
2. एस.बी.आई.बैंक शाखा रूपनगढ तहसील रूपनगढ।
3. बी.ओ.बी. शाखा रूपनगढ तहसील रूपनगढ।

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 15.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पालड़ी भोपतोतान पटवार हल्का भदूण, तहसील रुपनगढ के खसरा नम्बर 224 रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज व अंकित है। उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर अपने व अपने परिवार का जीवन यापन करते चले आ रहे है। उक्त भूमि रुपनगढ से कोरसीना तहसील सांभर लेक के डामर रोड़ के समीप है एवं प्रार्थीगण अपने गांव पालड़ी भोपतोतान से अपने आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 35 बीघा में खसरा नम्बर 218, 221/1, 222/2 एवं 222/1 की मेंड़ से होकर अपने खातेदारी खेत में कृषि कार्य हेतु आ जा रहे है। दिनांक 07.09.2017 को जब चौंले की फसल को प्रार्थीगण ट्रेक्टर में लेकर आ रहे थे तब अप्रार्थीगण एलानियां कहा कि फसल को तो ले जाओ लेकिन अब आगे आपको आने जाने का रास्ता नही देंगे। अतः वादकरण दिनांक 07.09.2017 को उत्पन्न होकर एवं उसी दिन से प्रार्थीगण को मानसिक संताप उत्पन्न हो गया। जिसका निराकरण राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F3(2) REV-6/03/PT/7 दिनांक–02.03.2012 जो नवीन रास्तों के बारे में जारी किया गया है, के अन्तर्गत न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करते हुए कायम करना आवश्यक हो गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 (ए) के तहत प्रार्थीगण को रास्ता प्रदान कर नियमानुसार रास्ते के उपयोग उपभोग में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से भुगतान करने या रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि के बदले में उतनी ही भूमि अप्रार्थी को प्रार्थीगण देने को तैयार है। ऐसे में रास्ते में आने वाली भूमि को राजस्व मानचित्र में अंकित करते हुए, आम रास्ता अंकित कर दिया जाये। प्रार्थी द्वारा मांगे गये रास्ते का नजरी नक्शा इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी उक्त रास्ते से अपने खेतों पर आते जाते रहते है और अपना कृषि कार्य करते चले आ रहे है एवं अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक–07.09.2017 को मना किये जाने से प्रार्थीगण को हैरानी व परेशानी हो रही है एवं प्रार्थीगण जो ग्रामीण परिवेश काश्तकार व्यक्ति है उन्हें अपनी खातेदारी खेत से उपज लाने व उसके निस्तारण करने में आवागमन की व्यावहारिक कठिनाईयां उत्पन्न हो गयी है जिनका समाधान न्यायालय के संरक्षण से अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेतों पर कृषि कार्यों एवं उपयोग हेतु आम रास्ते की आवश्यकता है, क्योंकि प्रार्थी को अन्य कोई रास्ता अपने खेतों पर आने जाने का नहीं है। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या F3(2) REV.6/03/PT/7 दिनांक–02.03.2012 द्वारा रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नही होने पर नजदीकी रास्ते से अड़वा अन्य खातेदारान की भूमि से रास्ता दिलवाये जाने का प्रावधान किया। चुंकि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी के उपयोग [illegible] हेतु तथा अपने रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है [illegible] राज्य सरकार के परिपत्र एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत दिया जाना नितांत आवश्यक है। उक्त रास्ते से अड़वा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से रास्ता निकलवाने हेतु जो कृषि भूमि अथवा सरकारी दर नियत है उसे अप्रार्थीगण को देने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितांत आवश्यक है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में रास्ते के लिए सहमत नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.23 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

लिहाजा रास्ते के पूर्ण समाधान के लिए इस न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः 12 फिट रास्ता आवागमन हेतु कायम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6, 14 से 18, एवं 20 से 23 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण संख्या 7 से 13 एवं 19 के नोटिस अदमतामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 7 से 13 एवं 19 के नोटिस अदमतामिल प्राप्त होने पर उनको सूचना हेतु राष्ट्रदूत समाचार पत्र दिनांक 31.12.2019 में सूचना प्रकाशित करवायी गई। प्रकरण में पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पालड़ी भोपतोतान तहसील रुपनगढ की जमाबंदी संवत् 2075 (वर्ष 2019 से स्थायी) के खाता संख्या 89 में खसरा नम्बर 224 रकबा 5.7439 है0 भूमि बिरदा पुत्र काना हि0 1/3 (प्रार्थी संख्या 1) जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (अप्रार्थी संख्या 23) सुखा पुत्र काना हि0 1/3 (प्रार्थी संख्या 2) जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रुपनगढ (अप्रार्थी संख्या 22) गोपाल पुत्र काना हि0 1/3 (प्रार्थी संख्या 3) जाति बलाई सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (अप्रार्थी संख्या 23) के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।ग्राम पालड़ी भोपतोतान की वर्तमान जमाबंदी में खसरा नम्बर 2018 रकबा 0.3964 है0 जशोदा देवी पत्नि भैंरु हि0 1/8 जाति ढोली, सा0देह खातेदार (अप्रार्थी संख्या 18) बाबूलाल पुत्र भैंरु हि0 7/8 जाति ढोली, सा0देह खातेदार (अप्रार्थी संख्या 19) के नाम पर खसरा नम्बर 221 रकबा 0.4125 है0 केशर, महेन्द्र, कैलाश पुत्रगण सुवा छोटी, सुरज्ञान पुत्रियां सुवा, मुनकी पत्नि सुवा हंसराज, दिलिप पुत्रगण सोहन कविता, चंचल पुत्रियां सोहन व सुरज्ञान पत्नि सोहन (अप्रार्थी संख्या 1 से 11 तक) जाति रेगर सा0 देह खातेदार व खसरा नम्बर 415/222 रकबा 0.1496 है0 श्योनारायण पुत्र दाना हि0 1/2 (अप्रार्थी संख्या 13) जाति रेगर सा0देह खातेदार राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 शाखा सलेमाबाद (अप्रार्थी संख्या 21) व हीरकी देवी पत्नि दाना हि0 1/2 (अप्रार्थी संख्या 12) जाति रेगर सा0देह खातेदार राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 शाखा सलेमाबाद (अप्रार्थी संख्या 21) के नाम एवं खसरा नम्बर 222 रकबा 2. 2652 है0 पुसा पुत्र मांगू हि0 1/2 जाति रेगर (अप्रार्थी संख्या 14)सा0देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रुपनगढ (अप्रार्थी संख्या 22) व रामदीन पुत्र मांगू हि0 1/2 जाति रेगर (अप्रार्थी संख्या 15) सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ (अप्रार्थी संख्या 23) के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 224 में आवागमन हेतु कोई रिकॉडेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 218, 221, 222 व 415/222 की पश्चिमी मेंड़ के सहारे 12 फिट चौडें रास्ते की मांग प्रार्थीगण द्वारा की गई है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 224 में आवागमन हेतु कोई रिकॉडेड रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान 218, 221, 222 व 415/222 की पश्चिमी मेंड़ के सहारे 12 फिट चौडें रास्ते की मांग सिवायचक रास्ता खसरा नम्बर 244 तक प्रार्थीगण द्वारा की गई है जो निकटतम व सुलभ है। सिवायचक रास्ता खसरा नम्बर 244 से प्रार्थीगण के अपने खेत खसरा नम्बर 224 में आवागमन हेतु 12 फिट चौड़ा रास्ता हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 218 में से 0. 02.00 बीघा, खसरा नम्बर 221 में से 0.05.10 बीघा, खसरा नम्बर 415/222 का सम्पूर्ण रकबा 0.18.10 बीघा व खसरा नम्बर 222 मे से 0.03.10 बीघा कुल रकबा 01.09.10 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। ग्राम पालड़ी भोपतोतान की असिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 16662.00 रुपये प्रति बीघा की दर से खसरा नम्बर 218 में से रास्ते में आने वाली 0.02.00 बीघा भूमि की कीमत 1667.00 रुपये, खसरा नम्बर 221 में से रास्ते में आने वाली 0.05. 10 बीघा भूमि की कीमत 4582.00 रुपये, खसरा नम्बर 415/222 में से रास्ते में आने वाली 0.18.10 बीघा भूमि की कीमत 15413.00 रुपये व खसरा नम्बर 222 में से रास्ते में आने वाली 0.03.10 बीघा भूमि की कीमत 2916.00 रुपये होती है। खसरा नम्बर 415/222 की कुल चौड़ाई नक्शे में लगभग 3 गट्ठा है एवं प्रार्थी द्वारा 12 फिट चौड़े रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.23 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

की मांग की गई है जिसमें 12 फिट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने के बाद तरमीम नही की जा सकेगी इसलिए सम्पूर्ण रकबा ही (पूर्ण चौड़ाई 3 गट्ठा को) रास्ता हेतु दर्ज किया जाता उचित होगा।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी द्वारा पेश की गई लिखित बहस पर मनन किया। तद्नुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 224 तक पहूंच हेतु खसरा नम्बर 218, 221, 222 में से 12 फिट एवं खसरा नम्बर 415/222 में से 3 गट्ठा चौड़ाई का रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। खसरा नम्बर 218 में से रास्ते में 0.02.00 बीघा भूमि आयेगी जिसकी कुल कीमत 1667.00 रुपये एवं दुगूनी कीमत 3334.00 रुपये होगी, खसरा नम्बर 221 में से रास्ते में 0.05.10 बीघा भूमि आयेगी जिसकी कुल कीमत 4582.00 रुपये एवं दुगूनी कीमत 9164.00 रुपये होगी, खसरा नम्बर 222 में से रास्ते में 0.03.10 बीघा भूमि आयेगी जिसकी कुल कीमत 2916.00 रुपये एवं दुगूनी कीमत 5832.00 रुपये होगी एवं खसरा नम्बर 415/222 में से रास्ते में 0.18.10 बीघा भूमि आयेगी जिसकी कुल कीमत 15413.00 रुपये एवं दुगूनी कीमत 30826.00 रुपये होगी जिनका संबंधित खातेदारान को जरिये बैंक ड्रॉफ्ट भुगतान के आदेश दिये जाते है। भुगतान की कार्यवाही पश्चात् रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रुपनगढ को लिखा जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.03.23 14:37:47 IST
Reason: SelfAttested